

दिनांक-13.06.2022 को निदेशक, भू-अभिलेख एवं परिमाप की अध्यक्षता में 18 जिलों यथा पटना, मुजफ्फरपुर, गया, भागलपुर, भोजपुर, सारण, दरभंगा, औरंगाबाद, कैमूर, बक्सर, वैशाली, रोहतास, पूर्वी चम्पारण, मधुबनी, समस्तीपुर, सिवान, गोपालगंज एवं नवादा के सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी (मु0) के साथ विशेष सर्वेक्षण एवं बंदोबस्त की समीक्षात्मक बैठक की कार्यवाही।

उपस्थिति:- यथा संधारित।

दिनांक: 13.06.2022 को निदेशक, भू-अभिलेख एवं परिमाप, बिहार, पटना की अध्यक्षता में राज्य के 20 जिलों में संचालित विशेष सर्वेक्षण कार्य के अतिरिक्त शेष 18 जिलों में विशेष सर्वेक्षण एवं बंदोबस्त कार्य की समीक्षा इन जिलों में पदस्थापित सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी (मु0) के साथ की गई।

समीक्षा के निर्धारित बिन्दु:-

1. स्वतंत्र रूप से बंदोबस्त कार्यालय की स्थापना एवं पदस्थापित पदाधिकारी/कर्मों।
2. उपस्कर आदि के लिए उपलब्ध कराए गए आवंटन के आलोक में क्रय किए गए उपस्कर सामग्रियों/की सूची के साथ उपलब्ध आवंटन की स्थिति।
3. हवाई सर्वेक्षण एजेंसियों द्वारा उपलब्ध कराए गए मानचित्रों की स्थिति।
4. पत्रांक-56 दिनांक- 06.01.2022 के अंतर्गत सर्वेक्षण पूर्व कार्य के लिए कंडिका-1 में निर्धारित प्रपत्र प्रतिवेदन के संबंध में।
5. कार्य प्रगति की समीक्षा।
6. अन्यान्य।

समीक्षा के लिए निर्धारित उक्त बिन्दुओं के आलोक में प्रगति प्रतिवेदन निम्नवत् पाया

गया :-

क्र0	जिला का नाम	बंदोबस्त कार्यालय स्वतंत्र रूप से स्थापित है या नहीं ?	पदस्थापित पदाधिकारियों/कर्मियों का विवरण				
			स0ब0प0	उ0व0लि0	नि0व0लि0	डाटा इंट्री ऑपरेटर	कार्यालय परिचारी
1	भोजपुर	हाँ, 04 कमरा	02 (01 प्रतिनियुक्त अंचलाधिकारी, बड़हरा)	02 (01 भू0अ0नि0 में प्रतिनियुक्त)	00	00	00
2	बक्सर	नहीं	01	01	00	01	00
3	कैमूर (भभूआ)	नहीं	01	00	00	00	00
4	औरंगाबाद	हाँ	00	00	00	00	00
5	रोहतास (सासाराम)	नहीं	00	00	00	00	00
6	गया	हाँ, 05 कमरा	02 (01 सीतामंढी, बन्दोबस्त कार्यालय में प्रतिनियुक्त)	01	01	00	01
7	नवादा	हाँ, 02 कमरा एवं 02 हॉल	02 (01 भू-अर्जन में प्रतिनियुक्त)	00	00	00	00
8	पटना	हाँ	03 (01 भू0अ0नि0 में प्रतिनियुक्त)	04 (01 भू0अ0नि0 में प्रतिनियुक्त)	01 (01भू0अ0नि0 में प्रतिनियुक्त)	01	04 (02 भू0अ0नि0 में प्रतिनियुक्त)
9	भागलपुर	हाँ, 06 कमरा	01	01	01	00	01
10	समस्तीपुर	हाँ, 01	00 प्रभार में R.O	00	00	01	00
11	मधुबनी	नहीं	00 प्रभार में R.O	00	00	00	00
12	पूर्वी चम्पारण	हाँ, 01	01	00	00	00	00
13	सिवान	हाँ, 01	00 प्रभार में D.C.L.R	01	00	00	00
14	सारण (छपरा)	हाँ, 04	01	00	01	01	01
15	गोपालगंज	हाँ, 05	02	00	00	00	00
16	दरभंगा	हाँ, 10	01	02	03	00	02
17	मुजफ्फरपुर	हाँ, 02	00 प्रभार में R.O	00	02	01	00
18	वैशाली	हाँ, 01	01	00	00	01	00



क्र०	जिला का नाम	जिले में कुल अंचलों की संख्या	चयनित अंचलों की संख्या	नवगठित किये जाने वाले शिविरों की संख्या	उपस्कर/ सामग्री क्रय किया गया है अथवा नहीं	जिला स्तर पर विभिन्न सरकारी विभागों के जिला स्तरीय नोडल पदाधिकारी नियुक्त है अथवा नहीं	अनुपलब्ध खतियान एवं मानचित्र की स्थिति		
							कुल चयनित ग्राम	चयनित ग्रामों की संख्या खतियान अनुपलब्ध है।	ग्रामों की संख्या जिनका मानचित्र अनुपलब्ध है।
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	भोजपुर	14	06	15	हाँ	हाँ	387	जीर्ण-शीर्ण 48	387
2	बक्सर	11	04	06	नहीं	हाँ	135		135
3	कैमूर (भभूआ)	11	04	17	हाँ	नहीं	463	05	00
4	औरंगाबाद	11	04	13	हाँ	नहीं	382	—	—
5	रोहतास (सासाराम)	19	06	12	नहीं	नहीं	278	452	278
6	गया	24	06	15	हाँ	हाँ	405	00	177
7	नवादा	14	05	09	हाँ	नहीं	247	00	00
8	पटना	23	07	08	हाँ	हाँ	220	00	00
9	भागलपुर	16	08	11	नहीं	नहीं	264	00	00
10	समस्तीपुर	20	05	07	हाँ (कम्प्यूटर, प्रिंटर एवं नेटवर्किंग सामग्री का क्रय नहीं)	नहीं	196	196	196
11	मधुबनी	21	05	06	नहीं	नहीं	141	141	141
12	पूर्वी चम्पारण	27	07	08	हाँ	नहीं	220	0	220
13	सिवान	19	06	14	हाँ	नहीं	355	—	—
14	सारण (छपरा)	20	06	13	हाँ	नहीं	360	21	11
15	गोपालगंज	14	05	13	हाँ	नहीं	402	—	—
16	दरभंगा	18	05	08	नहीं	नहीं	184	—	—
17	मुजफ्फरपुर	16	06	17	हाँ	नहीं	472	—	—
18	वैशाली	16	05	10	हाँ	नहीं	278	—	—

उक्त प्रगति प्रतिवेदन की समीक्षा उपरांत निम्नांकित निदेश दिए गए:-

1. निदेशित किया गया कि जिन जिलों द्वारा अभी तक बन्दोबस्त कार्यालय हेतु आवश्यक स्थान उपलब्ध नहीं कराया गया है, वहाँ के समाहर्ता-सह-बन्दोबस्त पदाधिकारी को पुनः पत्र द्वारा कार्यालय हेतु स्थान उपलब्ध कराने का अनुरोध किया जाए। साथ ही सभी 18 जिलों के समाहर्ता-सह-बन्दोबस्त पदाधिकारियों को पुर्णतया स्वतंत्र रूप से बन्दोबस्त कार्यालय संचालित करने एवं इसके लिए पृथक निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी प्राधिकृत करने का अनुरोध किया जाए।

(अनुपालन- सहायक निदेशक, भू-अभिलेख एवं परिमाण एवं समाहर्ता-सह-बन्दोबस्त पदाधिकारी)



2. जिन जिलों में उपस्करं आदि के लिए आवंटन उपलब्ध कराने के बावजूद क्रय नहीं किया गया वहाँ के अपर समाहर्ता से पृच्छा की जाए एवं उन्हें इस तथ्य से अवगत कराया जाए कि पुनः पूर्व से निर्धारित राशि को पुनः आवंटित किया जाना संभव नहीं है। समस्तीपुर के प्रभारी, सहायक बन्दोबस्त पदाधिकारी-सह-राजस्व पदाधिकारी द्वारा दिए गए प्रतिवेदन के अनुसार कम्प्यूटर एवं प्रिंटर का क्रय नहीं किया गया है। निदेशित किया गया कि अविलंब कम्प्यूटर एवं प्रिंटर का क्रय करना सुनिश्चित किया जाए। साथ ही वित्तीय वर्ष- 2022-23 में उपलब्ध कराये गये आवंटन की शतप्रतिशत उपयोगिता सुनिश्चित की जाए।

(अनुपालन- सहायक निदेशक, भू-अभिलेख एवं परिमाण )

3. निदेशित किया गया कि सरकारी विभागों से भूमि की विवरणी प्राप्त करने से संबंधित पत्रों को सभी सहायक बन्दोबस्त पदाधिकारी (मु0) को उपलब्ध करा दिया जाए एवं यथाशीघ्र 18 जिलों में नोडल पदाधिकारियों को प्राधिकृत करना सुनिश्चित किया जाए।

(अनुपालन- विशेष सर्वेक्षण शाखा, भू-अभिलेख एवं परिमाण )

4. निदेशित किया गया कि जिलों में हवाई सर्वेक्षण एजेंसियों से जो भी मानचित्र प्राप्त हुए हैं, उनकी ग्रामवार सूची तैयार करते हुए उनका सुरक्षित संधारण करना सुनिश्चित किया जाए। निदेशालय स्तर से Map Module संबंधी यूजर मैनुअल जिलों को उपलब्ध कराते हुए हवाई सर्वेक्षण एजेंसियों से जिला स्तर पर मानचित्र प्राप्त होने की तिथि से इसमें संधारित करना सुनिश्चित किया जाए।

(अनुपालन- संबंधित जिलों के स0ब0प0 एवं विशेष सर्वेक्षण शाखा, भू-अभिलेख एवं परिमाण)

5. राज्य के सभी जिलों में पदस्थापित लिपिक एवं मोहररि के पदस्थापन की समीक्षा करते हुए प्रत्येक जिले में आनुपातिक रूप से लिपिक की पदस्थापना करने के संबंध में प्रस्ताव दिया जाय।

(अनुपालन- सहायक निदेशक, भू-अभिलेख एवं परिमाण )

6. निदेशित किया गया कि 18 जिलों के लिए प्रस्तावित शिविर अंतर्गत आने वाले ग्रामों में जिनका खतियान एवं मानचित्र अनुपलब्ध है, उनकी ग्रामवार सूची तैयार कर अंचल अधिकारी एवं जिला अभिलेखागार के साथ समन्वय स्थापित कर अनुपलब्ध खतियान एवं मानचित्र का स्पष्ट प्रतिवेदन निदेशालय को उपलब्ध कराया जाय। साथ ही जिला स्तर पर अनुपलब्ध मानचित्र एवं खतियान को यथासंभव रैयतों के पास खोजने का प्रयास किया जाए। अनुपलब्ध खतियान एवं मानचित्र के संबंध में की जानेवाली कार्रवाई सम्बन्धी पत्रों से 18 जिलों के सहायक बन्दोबस्त पदाधिकारी (मु0) को उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाए।

(अनुपालन- संबंधित जिलों के स0ब0प0 एवं विशेष सर्वेक्षण शाखा, भू-अभिलेख एवं परिमाण)

7. निदेशित किया गया कि जिन जिलों में बेल्ट्रॉन द्वारा पदस्थापित डाटा इंटी ऑपरेटर की पदस्थापना नहीं की गई है अथवा पदस्थापित डाटा इंटी ऑपरेटर द्वारा अभी तक योगदान नहीं दिया गया है, उनके संबंध में बेल्ट्रॉन से समन्वय स्थापित कर सभी 18 जिलों में डाटा इंटी ऑपरेटरों की पदस्थापना सुनिश्चित की जाए।

(अनुपालन- सहायक निदेशक, भू-अभिलेख एवं परिमाण )



8. निदेशित किया गया कि निदेशालय स्तर से जिलों में गठित होने वाले विशेष सर्वेक्षण शाखा के मुख्यालय एवं उनके सम्बद्ध राजस्व ग्रामों की जाँच अविलंब कर ली जाए एवं परिवर्तन करने की स्थिति में एवं जिला स्तर से परिवर्तन करते हुए अद्यतन प्रतिवेदन निदेशालय को उपलब्ध कराया जाए।

(अनुपालन- संबंधित जिलों के स0ब0प0 एवं विशेष सर्वेक्षण शाखा, भू-अभिलेख एवं परिमाप)

9. निदेशित किया गया कि सभी 18 जिलों के R2R सॉफ्टवेयर एवं भू-सर्वेक्षण सॉफ्टवेयर प्रशिक्षण पुस्तिका उपलब्ध करा दी जाए एवं इन जिलों में पदस्थापित डाटा इंटी ऑपरेटर एवं सहायक बन्दोबस्त पदाधिकारी (मु0) को विडियो क्रॉफ़ेसिंग के माध्यम से इन सॉफ्टवेयर के संचालन का प्रशिक्षण भी दिया जाए ताकि जिला स्तर पर शिविर गठन, शिविर में कर्मियों की सम्बद्धता, शिविर स्थानान्तरण, प्रपत्रों का सॉफ्टवेयर में संधारण इत्यादि का कार्य जिला स्तर से सुगमतापूर्वक किया जा सके।

(अनुपालन- आई0टी0 सेल एवं विशेष सर्वेक्षण शाखा, भू-अभिलेख एवं परिमाप)

10. 18 जिलों में विशेष सर्वेक्षण कार्य की प्रगति के लिए MIS बनाने का निदेश दिया गया और जिलास्तरीय कर्मियों को इसे प्रविष्टि करने के सम्बन्ध में प्रशिक्षण देने का निदेश दिया गया।

(अनुपालन- आई0टी0 सेल, भू-अभिलेख एवं परिमाप)

11. भू-अभिलेख एवं परिमाप निदेशालय, बिहार, पटना में पदस्थापित सहायक बन्दोबस्त पदाधिकारी-सह-18 जिलों के नोडल पदाधिकारी, श्री पंकज कुमार एवं श्री सुनील कुमार को निदेशित किया गया कि एक दिन में तीनों जिलों का भ्रमण कार्यक्रम निर्धारित कर एक पक्ष के अंदर में सभी 18 जिलों का भ्रमण करना सुनिश्चित करे एवं जिला बन्दोबस्त कार्यालय की अद्यतन स्थिति तथा किए जा रहे कार्यों के संबंधित सुस्पष्ट प्रतिवेदन अधोहस्ताक्षरी के समक्ष उपस्थापित करे।

(अनुपालन- श्री पंकज कुमार एवं श्री सुनील कुमार, स0ब0प0-सह-18 जिलों के नोडल पदाधिकारी, भू-अभिलेख एवं परिमाप)

अंत में सधन्यवाद बैठक की कार्यवाही समाप्त की गई।

(जय सिंह)  
निदेशक,

भू-अभिलेख एवं परिमाप,  
बिहार, पटना।

ज्ञापांक: 17-विशेष सर्वेक्षण (कार्यवाही)-84 / 2019-Part-II.....1517.....पटना, दिनांक: 23/6/2022

प्रतिलिपि:- समाहर्ता-सह-बन्दोबस्त पदाधिकारी/अपर समाहर्ता, पटना, मुजफ्फरपुर, गया, भागलपुर, भोजपुर, सारण, दरभंगा, औरंगाबाद, कैमूर, बक्सर, वैशाली, रोहतास, पूर्वी चम्पारण, मधुबनी, समस्तीपुर, सिवान, गोपालगंज एवं नवादा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

निदेशक,

भू-अभिलेख एवं परिमाप

ज्ञापांक: 17-विशेष सर्वेक्षण (कार्यवाही)-84 / 2019-Part-II.....1517.....पटना, दिनांक: 23/6/2022

प्रतिलिपि:- संबंधित जिलों सहायक बन्दोबस्त पदाधिकारी (मु0) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

निदेशक,  
भू-अभिलेख एवं परिमाप

ज्ञापांक: 17-विशेष सर्वेक्षण (कार्यवाही)-84 / 2019-Part-II.....1517.....पटना, दिनांक: 23/6/2022

प्रतिलिपि :- जिलों से संबंधित तीनों हवाई सर्वेक्षण एजेंसियों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

निदेशक,  
भू-अभिलेख एवं परिमाप

ज्ञापांक: 17-विशेष सर्वेक्षण (कार्यवाही)-84 / 2019-Part-II.....1517.....पटना, दिनांक: 23/6/2022

प्रतिलिपि :- उप निदेशक, बिहार सर्वेक्षण कार्यालय, गुलजारबाग, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

निदेशक,  
भू-अभिलेख एवं परिमाप

ज्ञापांक: 17-विशेष सर्वेक्षण (कार्यवाही)-84 / 2019-Part-II.....1517.....पटना, दिनांक: 23/6/2022

प्रतिलिपि:- सहायक निदेशक/प्रशाखा पदाधिकारी, भू-अभिलेख एवं परिमाप/प्रभारी, विशेष सर्वेक्षण कोषांग शाखा/निदेशालय स्तर के संबंधित जिलों के नोडल पदाधिकारी/प्रभारी, आई0टी0सेल, भू-अभिलेख एवं परिमाप निदेशालय को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

निदेशक,  
भू-अभिलेख एवं परिमाप

ज्ञापांक: 17-विशेष सर्वेक्षण (कार्यवाही)-84 / 2019-Part-II.....1517.....पटना, दिनांक: 23/6/2022

प्रतिलिपि:- श्रीमती सरिता कुमारी, प्रोग्रामर, आई0टी0सेल, भू-अभिलेख एवं परिमाप निदेशालय को सूचनार्थ एवं वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

निदेशक,  
भू-अभिलेख एवं परिमाप

ज्ञापांक: 17-विशेष सर्वेक्षण (कार्यवाही)-84 / 2019-Part-II.....1517.....पटना, दिनांक: 23/6/2022

प्रतिलिपि:- अपर मुख्य सचिव, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के प्रधान आप्त सचिव को सूचनार्थ प्रेषित।

निदेशक,  
भू-अभिलेख एवं परिमाप